



मोडल:- बंधन

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

कृष्णा पब्लिक स्कूल, पुलगांव, दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

सत्र - 23/06/2019 से 22/06/2022

-----कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग)-----

984

/ मान्यता / 201

दुर्ग, दिनांक...18/07/2019

प्रबंधक, कृष्णा सज्जुकेरामल सोसायटी,
(मेलार, जिला-दुर्ग (छ.ग))

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख...01/07/2019 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत में...कृष्णा पब्लिक स्कूल पुलगांव, दुर्ग (विद्यालय का नाम पत्रा सहित) को तारीख...23/06/2019 से 22/06/2022 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा...1 से 5 तक माध्यम...3 प्रो. के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के...25% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा। परंतु यह और भी के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जावेगा। पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा। सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में अध्याधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।

किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबंधों "च" के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यार्थन अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं। 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 12.620 वर्गमीटर

कुल निर्मित का क्षेत्रफल 315.00 वर्गमीटर

खेल के मैदान का क्षेत्रफल 8.000 वर्गमीटर

कक्षाओं की संख्या 25 कमरे 02 हाल

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिए कक्ष 10

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 25+18

पेयजल सुविधा 3ए.डी.

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधारहित पहुंच 6।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलवृद्ध के उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउटेन्ड द्वारा समपरीक्षा कर ली जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आबंटित कोड संख्यांक101/203/15..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और प्रस्तुत सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।


जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग